

वेदांता लिमिटेड

इक्विटी शेयरधारकों के लिए लाभांश वितरण नीति

सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स एंड डिस्कलोजर रिकवायरमेंट्स) रेगुलेशन, 2015 के अनुसार, जैसा कि संशोधित किया गया है, कंपनी को अपनी डिविडेड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी तैयार करने और उसका खुलासा करने की आवश्यकता है। तदनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल ('बोर्ड') ने 15 मई, 2017 को आयोजित अपनी बैठक में कंपनी के लिए इस लाभांश वितरण नीति को मंजूरी दे दी है।

निदेशक मंडल इस नीति, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों और अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के अनुपालन में लाभांश की सिफारिश करेगा।

1. लाभांश भुगतान

प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, बोर्ड का लक्ष्य अपने इक्विटी शेयरधारकों को वितरित करना है:

1.1. इसकी सहायक कंपनी, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड से प्राप्त होने वाली संपूर्ण लाभांश आय (करों का शुद्ध) (यह हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड से प्राप्त किसी एकमुश्त विशेष लाभांश पर लागू नहीं होता है जो बोर्ड के विवेक पर होगा)। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड से लाभांश 6 महीने के भीतर पारित किया जाएगा; तथा

1.2. वर्ष के लिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में मुनाफे के अपने हिस्से को छोड़कर कंपनी के कर के बाद (असाधारण वस्तुओं से पहले) एट्रिब्यूटेबल प्रॉफिट का न्यूनतम 30% (कर, उपकर और लेवी सहित, यदि कोई लाभांश से संबंधित है)। इस तरह के लाभ वरीयता शेयरधारकों को लाभांश भुगतान का शुद्ध होगा, यदि कोई हो।

2. लाभांश पर विचार करते समय, निम्नलिखित वित्तीय मानकों और आंतरिक और बाहरी कारकों का भी मूल्यांकन बोर्ड द्वारा किया जाएगा:

- ए। चालू वित्तीय वर्ष का लाभ और प्रतिधारित आय;
- बी। लाभांश का भुगतान करने के लिए नकद और तरल निवेश की उपलब्धता;
- सी। कंपनी की डिलीवरेजिंग योजनाएं;
- डी। कंपनी के पूंजीगत व्यय और जैविक/अकार्बनिक योजनाएं;
- इ। आकस्मिक योजनाएं;
- एफ। कंपनी की भविष्य की संभावनाएं जिसमें इसके मुनाफे को बनाए रखने की निरंतर क्षमता शामिल है; तथा
- जी। बाहरी कारक जैसे अनिश्चित या मंदी की आर्थिक और व्यावसायिक स्थितियां, नियामक वातावरण, बाजार में प्रचलित और अपेक्षित कमोडिटी की कीमतें आदि।

3. वे परिस्थितियाँ जिनके तहत कंपनी के शेयरधारक लाभांश की उम्मीद कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं:

आम तौर पर, ऊपर 1. में निर्दिष्ट तरीके से लाभांश का भुगतान करना कंपनी की नीति होगी।

हालाँकि, बोर्ड निम्न स्थितियों में लाभांश को मंजूरी नहीं दे सकता है:

ए। जब कंपनी को कोई लाभ न हो;

बी। जब लंबे समय तक हड़ताल या तालाबंदी, प्राकृतिक आपदाएं, नियामक कार्रवाई, बड़ी दुर्घटनाएं या अन्य घटनाएं होती हैं जो उत्पादन की मात्रा को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं;

सी। जब कंपनी के उत्पादों की कीमतों में अचानक गिरावट आई हो, जिससे भविष्य के मुनाफे पर काफी असर पड़ा हो; या

डी। जब किसी कारण से कंपनी की तरलता खतरे में पड़ जाती है, जिससे लाभांश का भुगतान करने की उसकी क्षमता क्षीण हो जाती है।

4. प्रतिधारित आय का उपयोग कैसे किया जाएगा:

प्रतिधारित आय का उपयोग या तो इसके मेमोरेंडम और एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल्स में उल्लिखित व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है या इक्विटी शेयरधारकों को वितरित किया जाएगा।

5. शेयरों के विभिन्न वर्गों के संबंध में लाभांश भुगतान के लिए मानकों को अपनाना:

ए। वर्तमान में, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 1 रुपये के इक्विटी शेयरों और प्रत्येक 10 रुपये के वरीयता शेयरों में विभाजित है।

बी। जब भी कंपनी अन्य प्रकार के शेयर जारी करती है, बोर्ड इस नीति में उपयुक्त संशोधन कर सकता है।

6. नीति की समीक्षा

इस नीति की बोर्ड द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाएगी और यदि संशोधित किया जाता है, तो कंपनी ऐसे परिवर्तनों की घोषणा करेगी।

यह नीति वित्तीय वर्ष 2018 से लागू होगी।

08 फरवरी, 2022 को हुई बोर्ड की बैठक में नीति की समीक्षा की गई और इसे अद्यतन किया गया।